न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध **बैंक प्रकरण** संख्या 98/2022(GCMS : 2022/144)

पंजाब नेशनल बैंक जरिये श्री निशान्त खुराना, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, कार्यालय SASTRA केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **श्रीमती निर्मला देवी** पत्नी श्री विरेन्द्र कुमार निवासी दुकान नं. 43"बी" के पीछे आवासीय मकान, नई धान मंडी, सादुलशहर श्रीगंगानगर(राज.)
2. **श्री विरेन्द्र कुमार** पुत्र श्री हंसराज निवासी दुकान नं. 43"बी" के पीछे आवासीय मकान, नई धान मंडी, सादुलशहर श्रीगंगानगर(राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31.07.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक की ओर से विड्रो किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक ने अप्रार्थीगण निर्मला देवी एवं विरेन्द्र कुमार द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी निर्मला देवी की **आवासीय सम्पत्ति दुकान नं. 43"बी" के पीछे, आवासीय मकान (क्षेत्रफल 15' गुणा 49') नई धान मंडी, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.) का** भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 08.06.2022 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया समस्त राशि जमा करवा दी है इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणियों के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्यवाई नहीं चाहता है अतः विड्रो करना चाहता है और **अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.10 18:00:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 08.06.2022 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण निर्मला देवी एवं विरेन्द्र कुमार के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में निर्मला देवी की **आवासीय सम्पत्ति दुकान नं. 43''बी'' के पीछे, आवासीय मकान (क्षेत्रफल 15' गुणा 49') नई धान मंडी, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)** का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आशय का लिखित प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.10 18:00:11 IST
Reason: SelfAttested